सं.32011/14/04-प्र0
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
....

नई दिल्ली, दिनांक 20/12/ 2004

सेवा में,

विषयः इस विभाग में बिजली का कार्य कराने के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाना

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में बिजली का कार्य कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक ठेका देने के लिए समेकित आधार पर कोटेशन आमंत्रित किए जाएं । यह ठेका एक वर्ष के लिए दिया जाएगा ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना सीलबंद कोटेशन संपूर्ण जानकारी के साथ भेजें, जिसमें रखरखव शुल्क, स्थापना शुल्क, निंबधन तथा शर्तें तथा विभिन्न विभागों से संतोषजनक प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, जहां पर आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । सीलबंद लिफाफे में कोटेशन अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास कमरा नं0 207, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में अपराह्न 3.00 बजे दिनांक 30.12.2004 तक पहुंच जाना चाहिए तथा कोटेशनों को कमरा नं0 231-'ए', शास्त्री भवन में अपराह्न 3.30 बजे खोला जाएगा । बिजली के विभिन्न कार्यों की एक सूची संलग्न है

3. सफल टेंडर भेजने वाले को काम देने के लिए निबंधन तथा शर्ते निम्नलिखित हैं-

क) यदि कार्य कार्यालय में करना संभव नहीं हो, तो ही कार्यालय से बाहर करने के लिए अनुमति दी **जाएगी पर इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा ।**

ख) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

ग) शास्त्री भवन में कार्य करने के लिए विभाग स्थान उपलब्ध नहीं कराएगा ।

घ) शिकायतों को देखने के लिए आप एक प्रशिक्षित इलैक्ट्रीशियन को विभाग में तैनात करेंगे । इलैक्ट्रीशियन सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समय में मंत्रालय में उपस्थित रहेंगे ।

ङ) यदि आपका काम संतोषजनक नहीं पाया गया, तो इस ठेके को किंसी भी समय बिना कोई कारण बातए रद्द कर दिया जाएगा ।

च) टेडर स्वीकार होने पर सफल टेंडर भेजने वाले को रू. 2000/- (दो हजार रूपए) की धरोहर राशि डी डी ओ, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होंगी । धरोहर राशि की वापसी ठेका समाप्त होने पर की जाएगी । ठेके की शर्तों का उल्लंधन करने पर मंत्रालय के पास जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार है ।

4. इस ठेके को विभाग द्वारा किसी भी समय बिना किसी आधार पर रद्द किया जा सकता है । इस संबंध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार उसे मानने के लिए बाध्य होगा । विभाग अध्यक्ष के पास बिना किसी आधार पर सभी कोटेशनों को अस्वीकार करने का अधिकार है ।

भवदीय,

(सागर मेहरा)
अवर सचिव, भारत सरकार
3387920